

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री अलका मेडिको सर्जिको, 42, सन्त सिंह सूरी मार्केट, फाउन्टेन, आगरा ।
प्रार्थना पत्र संख्या 74 / 11
प्रार्थी की ओर से श्री नवरतन कुमार, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-74 / 11, दिनांक 05.08.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **Adult Diapers** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?
2. फर्म की ओर से श्री नवरतन कुमार, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि ABSORBENT BRIEFS जिसे Adult Diapers भी कहते हैं की, खरीद-बिक्री का कार्य करते हैं तथा टिन नम्बर-09400601032 है तथा इन Adult Diapers का उपयोग मूत्र नलिका की बीमारी से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है जो ज्यादा चलने-फिरने में असमर्थ हों । अवगत कराया गया कि उनके अनुसार Adult Diapers उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-107 के अन्तर्गत रेडीमेड गारमेन्ट होने के कारण तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-16 के अन्तर्गत टैक्सटाइल मेडअप होने के कारण तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-79 के अन्तर्गत मेडिकल डिवाइस होने के कारण आता है अतः Adult Diapers पर उनके अनुसार 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।
3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-107 निम्नवत है :-

107	Readymade garments ; Unfilled razai
-----	-------------------------------------

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-16 निम्नवत है :-

16	Bed sheets (<i>other than unstitched bed sheets</i>), pillow cover & other textile made ups.
----	--

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-79 निम्नवत है :-

79	Medical equipment /devices & implants; I.B. Canula,Scalp Vanset,Surgical Blade, Blood collection tube; Contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sun goggles and sun glasses
----	--

सर्वश्री अलका मेडिको सर्जिको / प्रा0 पत्र सं0-74 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन के पत्रांक-2167, दिनांक 27.09.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार विक्कीपीडिया में Adult Diaper निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

An Adult Diaper is a diaper made to be worn by a person with a body larger than that of an infant or toddler. Diapers become necessary for adults who suffer from various conditions, such as incontinence, mobility impairment, or dementia. Adult diapers are made in various forms, including those resembling traditional child diapers, underpants, and pads resembling sanitary napkins (known as incontinence pads).

तथा Adult Diapers का प्रयोग निम्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है :-

People with medical conditions which cause them to suffer from urinary or fecal incontinence often require diapers or similar products because they are unable to control their bladders or bowels. People who bedridden or in a wheelchair,.....their need to reach a toilet.

एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, आगरा जोन द्वारा अवगत कराया गया कि Adult Diaper का प्रयोग एक खास उद्देश्य से किया जाता है। जो रोगी toilet जल्दी से नहीं पहुँच पाते हैं और बेलैडर / बाउल को नियन्त्रित नहीं कर पाते हैं उनके द्वारा Adult Diaper का प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में गारमेन्ट नहीं कहा जाता है तथा इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Adult Diaper न ही टैक्सटाइल मेडअप है न ही रेडीमेड गारमेन्ट है तथा यह कोई मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 में Adult Diaper कहीं पर वर्गीकृत नहीं है। अतः **Adult Diapers** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

- 6.. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18 नवम्बर, 2011

ह0 / 18.11.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।